मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

फार्मेसी (बी.फार्मेसी/डी.फार्मेसी)
पाठ्यक्रमों के प्रवेश नियम
सत्र 2018–19

1	शासकीय **(Govt.)** क्षेत्र के लिये (अ) शासकीय, मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) फार्मेसी संस्थाओं में बी.फार्मेसी/ डी. फार्मेसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 2–14
2	निजी **(Private)** क्षेत्र के लिये (अ) निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में बी.फार्मेसी/डी. फार्मेसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 15–26
3	विभिन्न प्रारूप	पृष्ठ 27–39
5	संस्थावार उपलब्ध सीटों की सख्या (बी.फार्मेसी तथा डी.फार्मेसी)	पृष्ठ 40–42

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं (विश्वविद्यालयीन) में सत्र 2018–19 से प्रवेश नियम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) फार्मेसी की संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियमः–

2.1 सामान्य

मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी फार्मेसी की संस्थाओं तथा अनुदान प्राप्त अशासकीय फार्मेसी की संस्थाओं में बी.फार्मा के प्रथम वर्ष एवं राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालय के द्वि–वर्षीय फार्मेसी के डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डी.फार्मा.) के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलाएंगें।

2.2 परिभाषायें :

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः –

1. "AICTE" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली;
2. ″पाठयक्रम″ से अभिप्रेत हैं कोई पाठयक्रम जिसकी नाम पद्वति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया जाता हैं (जैसे बी.ई इलेक्ट्रिकल, बी.ई. मैकेनिकल, एमसीए, एमबीए, डी.फार्मा, आदि);
3. ''व्यावसायिक संस्थान'' से अभिप्रेत है ऐसी संस्थायें जो इंजीनियरिंग, टेक्नालॉजी तथा फार्मेसी पाठ्यक्रमों को संधारित करती है;
4. ''डी.टी.ई.'' से अभिप्रेत है डायरेक्टर टेक्नीकल एजूकेशन, मध्यप्रदेश;
5. ''रा.गां.प्रौ.वि.'' से अभिप्रेत है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से है;
6. ''प्राचार्य'' से अभिप्रेत है संस्था प्रमुख;
7. ''सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.)'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी;
8. ''मध्यप्रदेश (म.प्र.)'' से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया हैं;
9. ''एन.आर.आई.'' से अभिप्रेत है अनिवासी भारतीय का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115–ग के खण्ड (ड.) में उसके लिये दिया गया है;
10. ''श्रेणी'' से अभिप्रेत है इन चार श्रेणी में से एक उदाहरणार्थ अनारक्षित(UR), अनुसूचित जाति(SC), अनुसूचित जनजाति(ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर)(OBC);
11. ''वर्ग'' से अभिप्रेत है इन तीनों वर्गों में कोई भी एक उदाहरणार्थ सैनिक(S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी(FF), बिना वर्ग(X);

12. "OP" सीटों से अभिप्रेत है महिला या पुरूष अभ्यर्थी;
13. "F" सीटों से अभिप्रेत है महिला अभ्यर्थी;
14. ''मध्यप्रदेश सीटों'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों के लिये आरक्षित सीट;
15. "AI" सीटों से अभिप्रेत है आल इंडिया सीट;

2.3 लागू होनाः– ये नियम मध्य प्रदेश के शासकीय, मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं (विश्वविद्यालयीन) में प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे ।

2.4 प्रवेश नियमः–

समस्त संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

2.4.1 स्थानों की उपलब्धता

बी.फार्मा./डी.फार्मा. संस्थाओं में उपलब्ध सीटें :–

स.क्र.	संस्था का प्रकार	प्रवेश क्षमता का प्रतिशत
1	मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वशासी घोषित एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय फॉर्मेसी महाविद्यालय एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वशासी घोषित पोलीटेकनिक महाविद्यालय एवं शासकीय महाविद्यालय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं (विश्वविद्यालयीन)	90 प्रतिशत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये सीटें 5 प्रतिशत अनिवासी भारतीय सीटें 5 प्रतिशत आल इंडिया सीटें (अनिवासी भारतीय सीटें एवं आल इंडिया सीटें रिक्त रहने पर म.प्र. सीटों में परिवर्तित)

नोट :–

(क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट www.dtempcounselling.org/dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध कराई जावेगी।

(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में स्थानों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है या विद्यमान संस्था में दूसरी पारी (सेकण्ड शिफ्ट) प्रारंभ करने की अनुज्ञा उस वर्ष की 30 जून या उसके पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे उस वर्ष के परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो तथापि विद्यमान संस्थाओं की स्वीकृत स्थानों की संख्या में परिवर्तन होने की दशा में,

उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने की शर्त लागू नहीं होगी।

(ख–1) विद्यमान संस्था/पाठ्यक्रमों की निरंतरता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परीषद नई दिल्ली एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नही की जाती है तो ऐसी संस्थाओं को काउंसलिंग में शामिल नही किया जायेगा।

2.4.2 <u>स्थानों का आरक्षण/आवंटन</u>

मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय फार्मेसी महाविद्यालयों, स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं (विश्वविद्यालयीन) तथा स्वशासी पोलीटेकनिक एवं शासकीय महाविद्यालयों के बी. फार्मेसी/डी.फार्मेसी संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिए क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा।

<u>टिप्पणी :</u>

(अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारुप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(क) मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी :–

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित **<u>प्रारुप–1</u>** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ–7–2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

(ख) मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी :–

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित **<u>प्रारुप–2</u>** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र

प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र **30 अप्रैल 2015** के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र **<u>प्रारुप–10</u>** परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा। (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ–7–2/96/ आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ–7–16–2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)

(ग) <u>जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग (J & K Migrants Seats) हेतु बी.फार्मेसी/डी. फार्मेसी के पाठ्यक्रमों में स्थानों का आरक्षण :</u>

समस्त स्वशासी फॉर्मेसी महाविद्यालयों तथा समस्त शासकीय/स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में स्वीकृत प्रवेश क्षमता की एक सीट कश्मीरी विस्थापित परिवार के पुत्र/पुत्रियों के लिए आरक्षित रहेगी। अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थानों तथा स्ववित्तीय संस्थानों में एक–एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्या के (over and above) आधार पर उपलब्ध है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित **<u>प्रारुप–7</u>** में जम्मू एवं काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित **<u>प्रारुप–8</u>** में प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(घ) <u>जम्मू एवं काश्मीर राज्य के निवासियों की सीटें (J&K Residents Seats)</u>

मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों, तथा स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं में आल इंडिया सीटों में से एक–एक सीट प्रत्येक संस्थाओं में आरक्षित की गई हैं।

(ङ.) एन.सी.सी. "बी" श्रेणी प्रमाण पत्र उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु आरक्षण

मध्यप्रदेश के एन.सी.सी. के "बी" श्रेणी प्रमाण पत्र उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए शासकीय/अनुदान प्राप्त फॉर्मेसी महाविद्यालयों में दो प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

(ढ़) क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) :

शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय फार्मेसी महाविद्यालयों में सभी श्रेणियों में सैनिक(S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी(FF), वर्ग के उम्मीदवारों हेतु निम्नानुसार क्षैतिजीय आरक्षण रहेगाः–

(अ) बी.फार्मेसी,/डी. फार्मेसी पाठ्यक्रम में सैनिक(S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी(FF), वर्ग के लिए प्रवेश हेतु निम्नानुसार स्थान आरक्षित है:–

1. एस.जी.एस.आई.टी.एस. इंदौर में अनुसूचित जनजाति(ST) के अंतर्गत सैनिक(S) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए बी.फार्मा में एक स्थान ।
2. स.व. पोलीटेकनिक महाविद्यालय, भोपाल में अनारक्षित श्रेणी(UR), एवं अनुसूचित जाति(SC) के अंतर्गत सैनिक(S) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए डी.फार्मा. में एक–एक स्थान ।
3. कलानिकेतन पोलीटेकनिक महाविद्यालय, जबलपुर में अनुसूचित जनजाति(ST) के अंतर्गत सैनिक(S) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए डी.फार्मा. में एक स्थान ।
4. स.व. पोलीटेकनिक महाविद्यालय, भोपाल में अनुसूचित जनजाति(ST) के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी(FF) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए डी.फार्मा में एक स्थान
5. कलानिकेतन पोलीटेकनिक महाविद्यालय, जबलपुर में अन्य पिछड़ी जाति(OBC) (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी(FF) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए डी. फार्मा में एक स्थान ।

सैनिक वर्ग (S):–

सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गये हों। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता हैं।

भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक

संबंधी प्रमाण–पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित **प्रारुप–3 भाग(अ)** में तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण–पत्र **प्रारुप–4** में, संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है। (प्रमाण पत्र **प्रारुप–3 भाग(ब)** में उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण–पत्र **प्रारुप–6** में प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

वह 1 जनवरी, 2018 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है। (प्रमाण पत्र **प्रारुप 3 भाग(ब)** में)

टिप्पणी : सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग (FF) :

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उन पुत्रों/पुत्रियों एवं पौत्रों/पौत्रियों/नातियों/नातिनों को प्रवेश की पात्रता होगी जो इस नियम पुस्तिका के अनुसार मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्ट्रेट में रखी हुई सूची में पंजीकृत है ।

टिप्पणी : स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर से **प्रारुप–5** में प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र ही उम्मीदवार का इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

(ब) बिना वर्ग (Nil Class) (X) :

जो उम्मीदवार उपरोक्त तीनों वर्गों में से किसी भी एक वर्ग के अंतर्गत प्रवेश का उम्मीदवार नहीं होगा, उसे उसकी संबंधित श्रेणी के अंतर्गत "बिना वर्ग"(X) का उम्मीदवार माना जावेगा ।

(स) मध्यप्रदेश की महिला (Female) उम्मीदवारों हेतु आरक्षण

बी.फार्मा./डी.फार्मा. पाठ्यक्रम में प्रत्येक श्रेणी एवं वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश की महिला उम्मीदवारों हेतु 30 प्रतिशत सीटों का "कम्पार्टमेंटलाइज्ड" आरक्षण उपलब्ध रहेगा । ऐसी सीटों को (F) दर्शाया जावेगा ।

महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण यथासंभव संस्थावार होगा ।

<u>**टिप्पणी:**</u> किसी वर्ग (**Class**) विशेष में महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त सीटें उसी वर्ग के ओपन (**OP**) उम्मीदवारों से भरी जावेगी। वर्ग विशेष में ओपन उम्मीदवार भी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त सीटें उसी श्रेणी (**Category**) के बिना वर्ग (**X/OP**) उम्मीदवारों के द्वारा भरी जावेंगी।

(द) विकलांग उम्मीदवारों (Physically Handicapped Candidates) हेतु आरक्षणः <u>बी.फार्मा./डी.फार्मा. पाठ्यक्रमः</u>

40 एवं अधिक प्रतिशत विकलांगता वाले विकलांग उम्मीदवार जो नियम पुस्तिका के अनुसार मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों, के लिए प्रवेश क्षमता में 3 प्रतिशत सीटों का क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण समस्त श्रेणियों यथा अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) में उपलब्ध रहेगा ।

<u>**टिप्पणी :-**</u>

1. यदि क्षैतिजीय आरक्षण के विरूद्व विकलांग उम्मीदवार के अनुपलब्ध होने पर सीट रिक्त रहती है तो ऐसी सीटों को उसी श्रेणी के Nil वर्ग (बिना वर्ग, X) में परिवर्तन किया जा सकेगा।

2. इन सीटों के विरूद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को <u>**निम्नांकित दोनों प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से काउंसिलिंग के दौरान ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा**</u>-

(अ) जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र; तथा

(ब) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre for Physically

Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) **नेपियर टाउन, जबलपुर** द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होंगे।

2.4.2.1 एन.आर.आई. (NRI) सीटें :

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम ''प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011'' दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

2.4.2.2 आल इंडिया (AI) सीटें :

समस्त संस्थाओं में एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें आल इंडिया उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये उपलब्ध रहेगी।

2.4.3 <u>प्रवेश हेतु पात्रता :</u>

1) जो भारत का नागरिक हो

2) शैक्षणिक अर्हता

(अ) बी.फार्मेसी / डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई भी एक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक हैः–

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा भौतिकी तथा रसायन अनिवार्य विषय के रुप में साथ ही गणित / बायोटेक्नालॉजी / बायोलॉजी विषय में से एक विषय के साथ उत्तीर्ण।

उपरोक्त विषयों में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है {मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा}

नोट :–

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होगें जिन्होनें अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी किन्तु उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा जिसमें ग्रेस अंक नहीं जोड़े जायेंगे।

2. ऐसे उम्मीदवार जिनकी अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिये परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित करना होगा।

3) मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (M.P. Domicile Requirements)

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी संस्थाओं एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं की सीटें तथा स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं फार्मेसी महाविद्यालयों की बी.फार्मा./डी.फार्मा. की सीटों एवं मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक के डी.फार्मा सीटों के विरूद्ध केवल ऐसे उम्मीदवारों को (सैनिक वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों तथा जम्मू काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के उम्मीदवारों को छोड़कर) प्रवेश हेतु चयन के लिये पात्रता होगी :–

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण–पत्र **प्रारूप–6** अनुसार अथवा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र **प्रारुप –6(अ)** प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2.4.4 प्रवेश की रीति

अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर काउंसलिंग प्रक्रिया सम्पादित की जाएगी।

2.5 प्रवेश की प्रक्रिया

2.5.1 *ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया*

(Online Offcampus Admission Procedure):

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

2.5.2 *अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विरूद्ध प्रवेश की प्रक्रियाः–*

2.5.2.1 समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम ''प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा

परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011'' दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

2.5.2.2 <u>अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन</u> – अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान, जैसा कि अनिवासी भारतीय के न भरे गये स्थानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के स्थानों में संविलीन कर दिए जाएंगे तथा इन स्थानों की पूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा, मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के स्थानों की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

2.5.3 विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मूल के नागरिकों के बालकों (सी.आई.डब्ल्यू.जी.सी.) का प्रवेश –

(एक) ऐसी संस्थायें जिन्हें एआईसीटीई के अनुमोदन में विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/सीआईडब्ल्यूजीसी के अभ्यर्थियों की सीटों के लिये भी अनुमोदन प्रदान किया जाता है तब ऐसी संस्थाओं को स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अधिकतम 15 प्रतिशत (अधिसंख्य) स्थान पर प्रवेश देने की पात्रता होगी। ऐसे स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित प्रक्रियानुसार भरे जा सकेगें।

(दो) संबंधित संस्था के लिये यह अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थियों की वास्तविकताओं तथा उनके अभिलेखों को सुनिश्चित करें तथा उन्हे सक्षम प्राधिकारी, शासन, एआईसीटीई को कोई जानकारी या वांछित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराएं।

2.6 <u>प्रवेश हेतु चयन पद्धति</u>

2.6.1 <u>अंकों में अधिभार</u>

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्रों को अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित **<u>प्रारुप–9</u>** में प्रमाण–पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, म0प्र0 शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

2.6.2 <u>योग्यता क्रम सूचियां</u>

2.6.2.1 उम्मीदवारों द्वारा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर बी. फार्मा/डी. फार्मा. पाठ्यक्रमों हेतु एकीकृत योग्यता क्रम सूचियॉ (Common Merit Lists), के साथ–साथ अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (OBC) (क्रीमिलियर को छोड़कर) श्रेणियों के लिये श्रेणीवार/वर्गवार अलग–अलग योग्यता क्रम सूचियां तैयार की जावेगी। उपरोक्त पाठ्यक्रमों में इन

योग्यता क्रम सूचियों से प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के माध्यम से किये जावेंगे।

2.6.2.2 बी.फार्मा. व डी.फार्मा. पाठ्यक्रमों हेतु संस्था का आवंटन प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को अर्हकारी परीक्षा की मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

2.6.2.3 समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit)

अर्हकारी परीक्षा में समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit) निम्नलिखित क्रम में निश्चित की जाएगी –

1. एक समान अंक प्राप्त करने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी।
2. ऐसे उम्मीदवार को जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है।

2.6.3 प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी :

2.6.3.1 मध्यप्रदेश के मूल निवासी की **सीटों, ऑलइंडिया सीटों, जम्मू कश्मीर विस्थापित एवं जम्मू कश्मीर निवासी सीटों के लिये** बी.फार्मा/डी. फार्मा.पाठ्यक्रमों में प्रवेश योग्यताक्रम सूचियों के अनुसार दिये जा सकेंगे।

2.6.3.2 समस्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसिलिंग का कार्यक्रम विभिन्न समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट www.dtempcounselling.org/ dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा।

2.6.4 मूल प्रमाण–पत्र: काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण–पत्र वापिस कर दिये जायेगें। **उम्मीदवारों को मूल प्रमाण–पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है।**

2.6.5 प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

2.6.6 निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

2.7 प्रवेश का क्रम :–

2.7.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से उन संस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। यह स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान ***मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों*** सम्मिलित किए जाकर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसलिंग) से भरे जाएंगे।

2.7.2 ***मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों*** के पहले दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम से बुलाया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें:– अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति।

2.7.3 आरक्षित प्रवर्गो के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी।

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी।

2.7.4 यदि पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसलिंग), आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, प्रवेश नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा/अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, काउंसलिंग सम्पादित की जावेगी।

2.8 प्रवेश का रद्द किया जानाः–

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे

अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(2) मान. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है। अतः यदि छात्र 07 अगस्त तक अपना प्रवेश निरस्त कराता है तो संस्था में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि में से 10 प्रतिशत की कटौती कर, शेष राशि वापिस कर दी जायेगी तदापि परामर्श (काउंसलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी। यदि छात्र द्वारा 07 अगस्त के पश्चात् अपना प्रवेश निरस्त कराया जाता है तो उसके द्वारा संस्था में जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि भी वापसी योग्य नहीं होगी।

(3) **रद्दकरण के पश्चात स्थानों की स्थिति :–**
प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, अगले चरण की काउंसिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी।

2.9 शिक्षण तथा अन्य फीस :–

राज्य शासन ने बी.फार्मेसी/डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के आदेश समय–समय पर जारी किए है । प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होगें।

2.10 तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये मापदंड, आवश्यकतायें एवं अन्य शर्तें एआईसीटी/**PCI** द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार होगी।

उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में मध्यप्रदेश राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा एवं जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

2.11 मध्यप्रदेश राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

2.12 क्षेत्राधिकार–

किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट www.dtempcounselling.org / dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

मध्यप्रदेश में स्थित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2018–19 से प्रवेश नियम

मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम–2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2008 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति तथा स्थानों के आरक्षण के संबंध में बी.फार्मा. एवं डी.फार्मा. पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियमः–

3.1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **प्रवेश नियम, 2008** है।

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित 15 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त है एवं संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू है ।

3.2. परिभाषाएंः–

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''**अधिनियम**'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007);

(ख) ''**समुचित प्राधिकारी**'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (क) में यथा परिभाषित प्राधिकारी;

(ग) ''प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति'' से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार व्दारा गठित समिति;

(घ) ''ए.आई.सी.टी.ई.'' से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम,1987 (1987 का 52) द्वारा स्थापित कानूनी निकाय;

(ड.) ''**उपाबंध**'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न उपाबंध;

(च) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार व्दारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;

(च–1) "पाठयक्रम" से अभिप्रेत हैं कोई पाठयक्रम जिसकी नाम पद्वति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया जाता हैं (जैसे बी.ई इलेक्ट्रिकल, बी.ई. मैकेनिकल, एमसीए, एमबीए, डी.फार्मा, आदि)''

(छ) ''**फीस**'' से अभिप्रेत है, शिक्षण फीस सहित समस्त फीस तथा विकास प्रभार;

(ज) ''**अनिवासी भारतीय**'' का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115–ग के खण्ड (ड.) में उसके लिए दिया गया है;

(झ) ''**प्राचार्य**'' से अभिप्रेत है, संस्था का प्रमुख;

(ञ) ''**सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था**'' से अभिप्रेत है, कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार से आवर्ती वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो तथा जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय व्दारा स्थापित या पोषित नहीं है;

(ट) ''**व्यावसायिक शिक्षण संस्था**'' से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा कोई महाविद्यालय या कोई स्कूल या कोई संस्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो राज्य के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जिसमें राज्य विधान मंडल के अधिनियम
व्दारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय होना समझी गई कोई संघटक इकाई सम्मिलित है, और जो व्यावसायिक शिक्षण को विनियमित करने वाले किसी सक्षम कानूनी निकाय व्दारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो;

(ठ) ''**अर्हकारी परीक्षा**'' से अभिप्रेत है, उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यर्थी इन नियमों में यथाविहित सुसंगत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने हेतु हकदार होता है;

(ड) ''एकल खिड़की प्रणाली'' से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली, जिसके व्दारा सभी संस्थाओं में उपलब्ध स्थान, सामान्य केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) या विकेन्द्रीकृत ऑनलाईन परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को प्रस्थापित किए जाते हैं;

(ढ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा नियम पुस्तिका में उपयोग किये जाने वाले संक्षिप्ताक्षर निम्नानुसार हैः–

1. ''डी.टी.ई.'' से अभिप्रेत है डायरेक्टर टेक्नीकल एजूकेशन, मध्यप्रदेश;
2. ''रा.गां.प्रौ.वि.'' से अभिप्रेत हैं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से है;
3. ''मध्यप्रदेश (म.प्र.)'' से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया हैं;
4. "सामान्य पूल" से अभिप्रेत है, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 85, प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से और 10 प्रतिशत स्थान संस्थागत प्राथमिकता की श्रेणी से भरे जा रहे है वहां इसका अर्थ होगा कि प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 95 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान

केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जा रहे हों और जहां अनिवासी भारतीय तथा संस्थागत प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत कोई प्रवेश नहीं दिए जा रहे हों, वहां इसका अर्थ होगा, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 100 प्रतिशत स्थान। प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के स्थानों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेगें। **अनारक्षित सीटों पर प्रवेश के लिये मध्यप्रदेश के मूल–निवासी की बाध्यता लागू नहीं होगी अर्थात् अनारक्षित सीटों पर मध्यप्रदेश के मूल–निवासियों के साथ–साथ अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा।**

3.3. लागू होना:–

ये नियम ऐसी सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं (स्ववित्त पोषित) पर लागू होंगे, जो इस प्रयोजन के लिए ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा यथा अधिसूचित व्यावसायिक पाठ्यक्रम यथा बी. फार्मा, तथा डी. फार्मा, संचालित कर रही हों।

3.4. प्रवेश नियम:–

समस्त व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:–

3.4.1 स्थानों की उपलब्धता–

मध्यप्रदेश में विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की संख्या निम्नानुसार है:–

संस्थाओं के प्रकार	प्रवेश क्षमता की प्रतिशतता
निजी संस्थाएँ	अ) उन संस्थाओं में जिन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिये और सक्षम प्राधिकारी से संस्थागत प्राथमिकता के अधीन स्थान भरने की अनुज्ञा प्राप्त नही की है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 100 प्रतिशत ।
	ब) उन संस्थाओं में, जिन्होनें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत तक अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, किन्तु जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन स्थान भरने के लिये अपना विकल्प नहीं दिया है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 95 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय स्थान नहीं भरे गए है तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे) ।
	स) उन संस्थाओं में, जिन्होनें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत

	अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तथा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन 10 प्रतिशत तक स्थान भरने के लिये अनुज्ञा मिल गयी है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 85 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय वाले स्थान नहीं भरे गए है तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे) ।

नोट :–

(क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट www.dtempcounselling.org/ dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध कराई जावेगी।

(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में स्थानों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है या विद्यमान संस्था में दूसरी पारी (सेकण्ड शिफ्ट) प्रारंभ करने की अनुज्ञा उस वर्ष की 30 जून या उसके पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे उस वर्ष के परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो तथापि विद्यमान संस्थाओं की स्वीकृत स्थानों की संख्या में परिवर्तन होने की दशा में, उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने की शर्त लागू नहीं होगी।

> (ख–1) विद्यमान संस्था/पाठ्यक्रमों की निरंतरता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परीषद नई दिल्ली एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नही की जाती है तो ऐसी संस्थाओं को काउंसलिंग में शामिल नही किया जायेगा।

3.4.2 स्थानों का आवंटन/आरक्षण–

प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के (कुल अंतर्ग्रहण के 85, 95, 100 प्रतिशत स्थानों में से, जो भी लागू हो) 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेगें। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो तो उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में परामर्श के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

<u>टिप्पणी :</u>

(1) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(2) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारुप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(क) मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी :–

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है,

उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित **<u>प्रारुप–1</u>** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ–7–2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

(ख) मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी:–

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस प्रवेश नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित **<u>प्रारुप–2</u>** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र **30 अप्रैल 2015** के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र (**प्रारुप–10**) को परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा । (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ–7–2/96/ आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ–7–16–2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)

(ग) <u>जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग (J & K Migrants Seats) हेतु बी.फार्मा/डी.फार्मा के पाठ्यक्रमों में स्थानों का आरक्षण :</u>

जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के पुत्र/पुत्रियों के लिए प्रत्येक संस्था में एक–एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्या के (over and above) आधार पर उपलब्ध है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित **प्रारुप–7** में जम्मू एवं काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी उल्लेखित आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित **प्रारुप–8** में प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(घ) जम्मू एवं काश्मीर राज्य के निवासियों की सीटें (J & K Residents Seats)

प्रत्येक संस्था में सामान्य पूल की सीटों में से एक–एक सीट प्रत्येक संस्थाओं में आरक्षित की गई हैं।

(ड) एन.आर.आई. (NRI) सीटें:–

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम ''प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011'' दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

3.4.3 प्रवेश हेतु पात्रता :

1) जो भारत का नागरिक हो

2) शैक्षणिक अर्हता

(अ) बी.फार्मेसी/डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई भी एक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:–

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा भौतिकी तथा रसायन अनिवार्य विषय के रुप में साथ ही गणित/बायोटेक्नालॉजी/बायोलॉजी में से एक विषय के साथ उत्तीर्ण।

उपरोक्त विषयों में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है {मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा}

नोट :–

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होगें जिन्होनें अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी किन्तु उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा जिसमें ग्रेस अंक नहीं जोड़े जायेंगे।

2. ऐसे उम्मीदवार जिनकी अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिये परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित करना होगा।

3) मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें

(M.P. Domicile Requirements)

बी.फार्मा./डी.फार्मा. की सामान्य पूल की सीटों जिनपर नियमानुसार मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, इन सीटों पर प्रवेश हेतु चयन के लिये पात्रता होगी :–

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण–पत्र **प्रारूप–6** अनुसार प्रारूप–7 अनुसार अथवा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र **(प्रारुप–6(अ))** प्रस्तुत करना आवश्यक है।

3.4.4 प्रवेश की रीति

अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर काउंसलिंग प्रक्रिया सम्पादित की जाएगी।

3.5 प्रवेश की प्रक्रिया

3.5.1 *ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया*

(Online Offcampus Admission Procedure):

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ केम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा।

3.5.2 *अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विरूद्ध प्रवेश की प्रक्रियाः–*

3.5.2.1 समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम ''प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011'' दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

3.5.2.2 अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन –

अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान, जैसा कि अनिवासी भारतीय के न भरे गये स्थानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्य पूल के स्थानों में संविलीन कर दिए जाएंगे तथा इन स्थानों की पूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा, सामान्य पूल के स्थानों की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

3.5.3 विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मूल के नागरिकों के बालकों (सी.आई.डब्ल्यू.जी.सी.) का प्रवेश –

(एक) ऐसी संस्थायें जिन्हें एआईसीटीई के अनुमोदन में विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/सीआईडब्ल्यूजीसी के अभ्यर्थियों की सीटों के लिये भी अनुमोदन प्रदान किया जाता है तब ऐसी संस्थाओं को स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अधिकतम 15 प्रतिशत (अधिसंख्य) स्थान पर प्रवेश देने की पात्रता होगी। ऐसे स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित प्रक्रियानुसार भरे जा सकेगें।

(दो) संबंधित संस्था के लिये यह अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थियों की वास्तविकताओं तथा उनके अभिलेखों को सुनिश्चित करें तथा उन्हे सक्षम प्राधिकारी, शासन, एआईसीटीई को कोई जानकारी या वांछित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराएं।

3.6 प्रवेश हेतु चयन पद्धति

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्रों को अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित **प्रारुप 9** में प्रमाण–पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, म0प्र0 शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

3.6.1 योग्यता क्रम सूचियां

3.6.1.1 उम्मीदवारों द्वारा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर बी. फार्मा/डी. फार्मा. पाठ्यक्रमों हेतु एकीकृत योग्यता क्रम सूचियॉ (Common Merit Lists), के साथ–साथ अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (OBC) (क्रीमिलियर को छोड़कर) श्रेणियों के लिये श्रेणीवार/वर्गवार अलग–अलग योग्यता क्रम सूचियां तैयार की जावेगी। उपरोक्त पाठ्यक्रमों में इन योग्यता क्रम सूचियों से प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के माध्यम से किये जावेंगे।

3.6.2 बी.फार्मा. व डी.फार्मा. पाठ्यक्रमों हेतु संस्था का आवंटन प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को अर्हकारी परीक्षा की मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

3.6.3 समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit)

अर्हकारी परीक्षा में समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit) निम्नलिखित क्रम में निश्चित की जाएगी –

1. एक समान अंक प्राप्त करने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी।

2. ऐसे उम्मीदवार को जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है।

3.6.4 प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी :

3.6.4.1 सामान्य पूल सीटों, जम्मू कश्मीर विस्थापित एवं जम्मू कश्मीर निवासी सीटों के लिये बी.फार्मा./डी.फार्मा. पाठ्यक्रमों में प्रवेश योग्यताक्रम सूचियों के अनुसार दिये जा सकेंगे

3.6.4.2 समस्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसिलिंग का कार्यक्रम विभिन्न समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट www.dtempcounselling.org/ dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा।

3.6.4.3 **मूल प्रमाण–पत्रः** काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण–पत्र वापिस कर दिये जायेगें। **उम्मीदवारों को मूल प्रमाण–पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है।**

3.6.4.4 प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

3.6.4.5 निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

3.7 प्रवेश का क्रम :–

3.7.1 सक्षम प्राधिकारी व्दारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसिलिग) से उन सस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। यह स्थान सक्षम प्राधिकारी व्दारा अधिसूचित प्रक्रिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान समान्य पूल में सम्मिलित किए जाकर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसलिंग) से भरे जाएंगे।

3.7.2 केवल उन संस्थाओं को, जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता की सीटों के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त आय से स्नातक, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत छूट प्रदान करने की सहमति दी हो, स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थानों को अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के योग्यताक्रम में और एआईसीटीई/राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूरा करने पर नियम–2008 (यथा संशोधित) तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार भरने की अनुमति दी जायेगी।

3.7.3 सामान्य पूल के परामर्श (काउंसलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम से बुलाया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें:– अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति।

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी.

3.7.4 यदि योग्यता क्रम के आधार पर आरक्षित प्रवर्गो के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी।

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, प्रवेश नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा/अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, काउंसलिंग सम्पादित की जावेगी।

3.8 प्रवेश का रद्द किया जानाः–

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(2) मान. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है। अतः यदि छात्र 07 अगस्त तक अपना प्रवेश निरस्त कराता है तो संस्था में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि में से 10 प्रतिशत की कटौती कर, शेष राशि वापिस कर दी जायेगी तदापि परामर्श (काउंसलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी। यदि छात्र द्वारा 07 अगस्त के पश्चात् अपना प्रवेश निरस्त कराया जाता है तो उसके द्वारा संस्था में जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि भी वापसी योग्य नहीं होगी।

(3) रद्दकरण के पश्चात स्थानों की स्थिति :–

प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, अगले चरण की काउंसिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी।

3.9 <u>शिक्षण तथा अन्य फीस :–</u>

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने बी.फार्मेसी/डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के आदेश समय–समय पर जारी किए है । प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होगें।

संस्थागत प्राथमिकता की सीटों के लिए शिक्षण शुल्क.–

अधिकतम 1.50 लाख रूपए प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिये होगा । संस्था उपरोक्त शुल्क से भिन्न कम शुल्क प्रभारित कर सकेगी तथापि यह शिक्षण शुल्क सामान्य पूल की सीटों के लिए विहित शिक्षण शुल्क से किसी भी परिस्थिति में कम न होगा। परंतु प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति तथा सक्षम प्राधिकारी को इस सूचना अग्रिम में देना होगी.

3.10 <u>नियमों/प्रक्रियाओं का उपांतरणः–</u>

मध्यप्रदेश राज्य सरकार, स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति से सम्यक् परामर्श करने के पश्चात् प्रवेश के लिए किसी उपबंध/नियम/प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और इस प्रकार किया गया कोई उपांतरण आबद्धकर होगा।

3.11 अभिकरण की ओर से किसी उल्लंघन या इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन से व्यथित कोई अभ्यर्थी, प्रक्रिया या अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में वाद हेतु तथा अधिकथित चूक दर्शाते हुए समिति को आवेदन कर सकेगा।

3.12 तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये मापदंड, आवश्यकतायें एवं अन्य शर्तें एआईसीटी/**PCI** द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार होगी।

उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने **(Interpretation)** संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में मध्यप्रदेश राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा एवं जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

3.13 <u>पाठ्यक्रमः–</u>

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित तकनीकी शिक्षण संस्थाओं से संबंधित पाठ्यक्रम की तालिका में दिए गए हैं।

3.14 <u>निर्वचनः–</u>

इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

3.15 <u>अधिकारिताः–</u>

किसी भी विवाद के मामले में अधिकारिता केवल मध्यप्रदेश में गठित तथा स्थित न्यायालयों तक ही सीमित रहेगी।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट www.dtempcounselling.org / dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

<u>प्रारूप–1</u>

अनुसूचित जाति / जनजाति प्रमाण–पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला...मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक......................................   प्रकरण क्रमांक...........................
प्रमाण पत्र क्रमांक................................

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी..
पिता / पति का नाम..
निवासी ग्राम / नगर.................................... वि.खं... तहसील.......................................
जिला... संभाग.. के..जाति / जनजाति का / की सदस्य है और इस जाति / जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ....जाति / जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक..पर अंकित है। अतः श्री / श्रीमती / कुमारी..
पिता / पति का नाम...अनुसूचित जाति / जनजाति का / की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी.......................................के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए...है।

दिनांक ....
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जानजाति।

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण–पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर / एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक / अधिकारी,वृहद / मध्यम / एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप–2

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र

स्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला...मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक... प्रकरण क्रमांक..
प्रमाण पत्र क्रमांक...

जाति प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पुत्री श्री.. निवासी ग्राम/शहर.. तहसील.................................. जिला...........................मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो...जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन,आदिम जाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5 पच्चीस 4–84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23–4–97–चौवन, दिनांक 2 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है और सूची के क्रमांक.............. पर अंकित है।

श्री.. और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला...... .... संभाग.................................. में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री... क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में तथा मध्य प्रदेश शाासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7–26/93/1– आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी.. के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये...है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक................................ को प्रवजन कर चुका है।

दिनांक ....

(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

<u>प्रारूप–3 (भाग–अ)</u>

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र
भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक................................ **दिनांक..........................**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. जो (प्रवेश परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी का नाम).. द्वारा संचालित (प्रवेश परीक्षा का नाम)..वर्ष...................................... .के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)...पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी..के पिता/माता है–

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे ....पद पर थे/थी उनका सर्विस क्रमांक...................................था।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में...पद पर सर्विस क्रमांक..के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए है/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष.......................में हो चुकी है।

स्थान : ....
दिनांक: ....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)

<u>प्रारूप–3 (भाग–ब)</u>

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक................................. **दिनांक....................................**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. जो (प्रवेश परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी का नाम).. द्वारा संचालित (प्रवेश परीक्षा का नाम)..वर्ष.................................... .के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी...के पिता/माता है–

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना में ....ओहदे पर सर्विस क्रमांक...के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है वे इस इकाई में दिनांक..से सेवारत है।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में...के ओहदे पर सर्विस क्रमांक...के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है।

स्थान : .... **हस्ताक्षर : आफिसर कमांडिंग**
दिनांकः .... **(कार्यालय सील)**

<u>**प्रारूप – 4**</u>

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक............................... **दिनांक.........................**

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी (उम्मीदवार का नाम).. जो.. द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) .... वर्ष....................के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार से. ....पर (पाठ्यक्रम का नाम)... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी...के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से.. (स्थान) तहसील... जिला...में व्यवस्थापित हो गये है।

स्थान :........................ **जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर**
दिनांकः.......................... **(कार्यालय सील)**

प्रारूप – 5

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक................................. **दिनांक..........................**

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती... (उम्मीदवार का नाम) श्री/श्रीमती...(उम्मीदवार के पिता/माता का नाम) के/वैध (Legitimate) पुत्री/पुत्र है जो श्रीमती..................... ....(स्वतंत्रता संग्राम सैनानी का नाम) के/वैध (Legitimate) पुत्री/पुत्र है।

2. श्री/श्रीमती..(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश के जिला ....(जिले का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सैनानी की पंजी (Register) में क्रमांक..................... पर पंजीकृत है।

स्थान :........................... **हस्ताक्षर कलेक्टर**
दिनांकः...........................

(कार्यालय सील)

प्रारूप–6

स्थानीय निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार

टप्पा/तहसील................................. जिला.................................

प्र.क्र वर्ष.................................. दिनांक...........................

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

यहा आवेदक का पासपोट साईज का फोटो लगाया जाये जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायें

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कु.. पिता/पति...निवासी.. तहसील.. जिला.. (मध्यप्रदेश). राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवास प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के लिये प्रभावशील ज्ञाप दिनांक...................................... में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक की पूर्ति करने फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2.* प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक... ....दिनांक ....के अधीन आवदेक द्वारा दिये विवरण अनुसार की पत्नी/अवयस्क बच्चे जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैः–

टीपः– यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राहय नही होगा।

(आवदेक द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के आधार पर जारी)

ह.तहसील/नायब तहसीलदार
तहसील.......................................
जिला..

*लागू न होने पर काट दें।

- यह प्रमाण पत्र यदि डिजिटल हस्ताक्षर युक्त है तो उसे भी मान्य किया जावेंगा।

(मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संबंधी स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र)

प्रारूप–6 (अ)

फोटो स्व प्रमाणित

स्थानीय निवासी हेतु
स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र
(अस्टाम्पित कागज पर)

मैं.. आत्मज/पति श्री................................. आयु लगभग ....वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ किः–

1. मैं वर्तमान में .... में निवासरत हूँ।
2. मेरी पत्नि का नाम श्रीमती .... एवं उम्र (लगभग).......................... वर्ष है।
3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री–
   1. श्री/कु...आयु (लगभग).............................. वर्ष
   2. श्री/कु...आय (लगभग)............................वर्ष
4. (यहाँ मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25 सितम्बर 2014 वर्णित निर्देश के अन्तर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन–जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें)
   1. मैं, मध्यप्रदेश के मकान नंबर ....मोहल्ला................... ग्राम...................... तहसील...................... जिला......................में वर्ष .... मैं पैदा हुआ/हुई हूँ।
   2. मैं, मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला.....................शहर.........................तहसील.................. ..जिला.........................में विगत 10 वर्ष से निरन्तर निवासरत हूँ।

      (आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 10 वर्ष निरन्तर निवासरत हो। यदि 10 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहाँ–कहाँ निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये)
   3. मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम .... कार्यालय का नाम ....विभाग का नाम .... के पद पर पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
   4. मैं मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत स्थापित.............................नामक संस्था/निगम/मण्डल/आयोग में.........................पद पर.. ....कार्यालय में सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ।

      (कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए उसका पूर्ण विवरण दें।

–2–

5. मैं केन्द्र शासन के .... विभाग में .... के पद पर ....कार्यालय...................... तहसील............................... जिला........................ के पद पर 10 वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ।

(कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)

6. मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष .... बैंच) अधिकारी हूँ। .... पद पर .... कार्यालय/मंत्रालय... में पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।

(कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम)

7. मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक..................................पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ।

(पद, कार्यालय का पूर्ण विवरण दिया जाये)

8. मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ तथा मैंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक (अवधि.................) निवास किया है/अथवा मेरे परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हैं। (इसकी पुष्टि हेतु सैनिक कल्याण संचालनालय का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)।

हस्ताक्षर

<u>सत्यापन</u>

मैं....................................आत्मज/पति श्री...............................आयु.................................. वर्ष निवासी .... सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा–पत्र की कण्डिका 1/2/3/4/5/6/7/8 में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई सारवान तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापिस लिये जायेंगे।

सत्यापन आज दिनांक ....वर्ष .... को स्थान.......................... .... में किया गया।

हस्ताक्षर

(जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख घोषणा –पत्र में किया जाये)

प्रारूप–7

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार संबंधी प्रमाण–पत्र

Office of the Zonal Officer

TO WHOM IT MAY CONCERN

Certified that .... S/o or D/o .... R/o .... Tehsil .... District... A/P.................................... Pin .... is registered from No. .... R/Card No……………………………... At S. No. .... of his/her father ration card issued from this zone.

Seal of Tehshildar **Zonal Officer / Tehshildar**

प्रारूप–8

मध्यप्रदेश के अधिकारी/कर्मचारी जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई का प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/आत्मजा/श्री .... जो .... द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) .... वर्ष............................ के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) ....में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवारों की सीटों के विरूद्ध प्रवेश का उम्मीदवार है ।

श्री... (उम्मीदवार का नाम) के पिता/माता श्री/श्रीमती.. मध्यप्रदेश सेवा के अधिकारी/ कर्मचारी है जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में रही है ।

स्थान .... **हस्ताक्षर**

दिनांक .... **(सील)**

राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियो के लिये प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... आत्मज / आत्मजा / श्री .... ने वर्ष .... की .... में भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के अधिकार पत्र पर आयोजित .... राष्ट्रीय प्रतियोगिता में .... स्वर्ण पदक अर्जित किया है ।

स्थान ....
दिनांक ....

संचालक
खेल और युवक कल्याण, मध्यप्रदेश
हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

नोट :– ओपन, जूनियर, सीनियर एवं नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को इस हेतु राष्ट्रीय प्रतियोगिता की श्रेणी में नही माना जावेगा।

(मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र)

प्रारुप–10

आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र
(सादे कागज पर)

मैं.. आत्मज श्री... आयु ....वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:–

1. मैं वर्तमान में .... में निवासरत हूँ।
2. मेरी नाम से ग्राम .... में हैक्टेयर/एकड़ कृषक भूमि है, जिससे मुझे रुपये.........................शब्दों में ....की वार्षिक आय होती है।?
3. मेरा व्यवसाय ....है, इससे मुझे वार्षिक आय रुपये............................ ..शब्दों में ....है।
4. गृह संपत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपये ....शब्दों में .... है।
5. मेरे परिवार निम्नानुसार सदस्य हैः–
   1......................2.........................3............................4............................5
   (परिवार से आशय पति/पत्नि/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित माता या पिता से है)
6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपये .... .शब्दों में...है।
7. मैंने इस शपथ–पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया है/शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। **अथवा**
8. मैंने इस शपथ–पत्र के पूर्व लगभग .... समय पूर्व एक आय प्रमाण –पत्र/शपथ–पत्र राशि...रुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि .... वार्षिक का आय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

(बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं................................आत्मज/पति श्री..............................आयु............................वर्ष, निवासी ....सत्यापन करता/करती हूँ कि शपथ–पत्र की कण्डिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापिस लिये जायेंगे। सत्यापन आज दिनांक ....वर्ष .... को स्थान.......................में किया गया।

हस्ताक्षर

TENTATIVE LIST OF INSTITUTES AND INTAKE 2018-19		
S. No.	**Institute Name**	**Seats**
	B.Pharmacy Course	
	Government Aided	
1	Shri G.S. Institute of Technology & Science, Indore (M.P.)	60
	Self Financing	
1	Department of Pharmacy, Bharkatullah University, Bhopal	60
2	School of Studies in Pharmaceutical Sciences, Jiwaji University, Gwalior	60
	PRIVATE	
1	Acropolis Institute of Pharmaceutical Education and Research, Indore	60
2	Adina Institute of Pharmaceutical Sciences, Sagar	100
3	Baba Loknath Institute of Pharmacy Science and Research Centre, Sagar	60
4	Bansal College of Pharmacy, Bhopal	100
5	Bhabha Pharmacy Research Institute, Bhopal	60
6	Bhagyoday Tirth Pharmacy College, Sagar	60
7	Bhopal Institute of Technology & Science - Pharmacy Bangrasiya, Bhopal	60
8	BM College of Pharmaceutical Education and Research, Indore	90
9	Charak Institute of Pharmacy, Khargone	100
10	Daksh Institute of Pharmaceutical Science, Chhatarpur	60
11	Dr. Shri RMS Institute of Science and Technology, College of Pharmacy, Mandsaur	60
12	Globus College of Pharmacy, Bhopal	60
13	GRY Institute of Pharmacy (Borawan), Khargone	100
14	Guru Ramdas Khalsa Institute of Science & Technology, Jabalpur	100
15	Gurukul Institute of Pharmaceutical Science & Research, Gwalior	60
16	IES Institute of Pharmacy,Bhopal	100
17	Indore Institute of Pharmacy, Indore	100
18	Institute of Professional Studies - College of Pharmacy, Gwalior	60
19	IPS Academy, College of Pharmacy, Indore (MP)	100
20	Kailash Narayan Patel College of Pharmacy, Bhopal	100
21	Lakhsmi Narain College of Pharmacy (RCP), Indore	60
22	Lakshmi Narain College of Pharmacy, Bhopal	60
23	Lakshmi Narain College of Pharmacy, Gwalior	60
24	Mahakal Institute of Pharmaceutical Studies, Ujjain	100
25	Malhotra College, Bhopal	60
26	Mathuradevi Institute of Pharmacy, Indore	50
27	Millennium College of Pharmacy, Bhopal	100
28	Mittal Institute of Pharmacy, Bhopal	42
29	Modern Institute of Pharmaceutical Sciences, Indore	100

30	Nagaji Institute of Pharmacutical Science, Gwalior	50
31	Nimar Institute of Pharmacy, Dhamnod (Dhar)	60
32	NRI Institute of Pharmaceutical Sciences, Bhopal	100
33	NRI Institute of Pharmacy, Bhopal	100
34	Nutanban Mansukhbhai Turakhia Gujarati College of Pharmacy, Indore	60
35	Oriental College of Pharmacy, Bhopal	100
36	Patel Group of Institutions (Patel College of Pharmacy, Bhopal)	100
37	Radharaman College of Pharmacy, Bhopal	100
38	Radharaman Institute of Pharmacetucal Sciences, Bhopal	100
39	Rajiv Gandhi College of Pharmacy, Bhopal	60
40	Ravi Shanker College of Pharmacy, Bhopal	60
41	Rewa College of Pharmacy, Rewa	60
42	RKDF School of Pharmaceutical Science, Bhopal	60
43	Royal Institute of Management and Advanced Studies, Ratlam	60
44	Sagar Institute of Pharmaceutical Sciences, Sagar	100
45	Sagar Institute of Pharmacy & Technology (SIPTEC), Bhopal	60
46	Sagar Institute of Research & Technology - Pharmacy, Bhopal	60
47	Sagar Institute of Research, Technology and Science - Pharmacy, Bhopal	60
48	Sardar Patel College of Technology (B.Pharmacy), Balaghat	60
49	Shri Bherulal Pharmacy Institute, Indore	60
50	Shri Ram College of Pharmacy, Morena	100
51	Shri Ram Group of Institution (Faculty of Engineering, Pharmacy, MBA, MCA), Jabalpur	60
52	Shri Ram Institute of Pharmacy, Jabalpur	60
53	Shri Ram Institute of Technology Pharmacy, Jabalpur	60
54	Shri Ramnath Singh Inst. of Pharmaceutical. Sc & Technology., Gwalior	60
55	Shri Ramnath Singh Mahavidalaya (Pharmacy) Gormi, Bhind	60
56	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Pharmacy, Datia	100
57	SHRI RAWATPURA SARKAR INSTITUTE OF PHARMACY, JABALPUR	50
58	Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore	60
59	Sri Aurobindo Institute of Pharmacy, Indore	84
60	Sun Institute of Pharmaceutical Education & Research (SIPER), Lahar, Bhind	60
61	Swami Vivekanand College of Pharmacy, Indore	100
62	Technocrates Institute of Technology-Pharmacy Education and Research, Bhopal	100
63	Technocrats Institute of Technology - Pharmacy, Bhopal	100
64	Thakur Shivkumarsingh Memorial Pharmacy College, Burhanpur	50
65	Truba Institute of Pharmacy, Bhopal	60
66	Ujjain Institute of Pharmaceutical Sciences Ujjain	60
67	Vedic Institute of Pharmaceutical Education an Research, Sagar	60
68	Vivekanand College of Pharmacy, Bhopal	100
69	VNS GROUP OF INSTITUTIONS, BHOPAL	100

Diploma Pharmacy Course

Government Autonomous		
1	Kala Niketan Government Polytechnic College, Jabalpur	60
2	S.V. Polytechnic College, Bhopal	60
PRIVATE		
1	Bhabha Polytechnic Pharmacy, Bhopal	60
2	BM College of Pharmaceutical Education and Research, Indore	50
3	Chaudhary Dilip Singh Pharmacy College, Bhind	60
4	Chordia Institute of Pharmacy, Indore	60
5	DAKSH INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE, CHHATARPUR	50
6	Devi Ahilya College of Pharmacy, Indore	60
7	Dr. Shri RMS Institute of Science and Technology, College of Pharmacy), Bhanpura	60
8	Gulabkali Memorial College of Pharmacy, Chakghat, Rewa	60
9	IES Institute of Pharmacy,Bhopal	50
10	Indore Institute of Pharmacy (Indore Polytechnic), Indore	60
11	INSTITUTE OF PROFESSIONAL TECHNICAL EDUCATION, GWALIOR	50
12	Lakshmi Narain College of Pharmacy, Bhopal	50
13	Malhotra College (Pharmacy), Bhopal	60
14	MEERA DEVI PHARMACY COLLEGE SHIVPURI	60
15	Mittal Institute of Pharmacy-Diploma, Bhopal	60
16	NRI Institute of Pharmaceutical Sciences, Bhopal	60
17	ORIENTAL COLLEGE OF PHARMACY, BHOPAL	50
18	RAGHUKUL COLLEGE OF PHARMACY, BHOPAL	50
19	Rajeev Gandhi College of Pharmacy, (Poly) Bhopal	60
20	Rewa Polytechnic (Pharmacy), Rewa	60
21	RKDF Institute of Pharmacy Science, Bhopal	60
22	RNS Institute of Pharmacy, Gwalior	60
23	SHREE BALAJI COLLEGE OF PHARMACY, CHHINDWARA	50
24	Shri Bherulal Pharmacy Institute, Indore	50
25	Shri Ram Institute of Technology. Diploma in Pharmacy, Jabalpur	60
26	Shri Ram Pharmacy College Jamthi Betul	60
27	Shri Ramnath Singh Mahavidalaya (Pharmacy) Gormi, Bhind	60
28	SHRI RAWATPURA SARKAR INSTITUTE OF PHARMACY, JABALPUR	50
29	Shriram College of Pharmacy, Banmore, Morena	50
30	Swami Vivekanand College of Pharmacy, Bhopal	60

NOTE: ADDITION/DELETION OF INSTITUTIONS AND INTAKE CAPACITY MAY TAKE PLACE AT THE TIME OF COUNSELING AS PER THE APPROVAL OF AICTE